N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0201   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 06/08/2025 18:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 01/08/2025   Date To (दिनांक तक): 04/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 13:30 बजे   Time To (समय तक): 13:44 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):   Date (दिनांक): 06/08/2025   Time (समय): 14:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003   Date & Time (दिनांक एवं समय) 06/08/2025 18:33:05 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 430 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): POLICE STATION, KHAMNOR, RAJSAMAND

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): YASHPAL SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHOOR SINGH CHOUHAN

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1991 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KALLAKHERI VIRAN, GUNJOL NATHDWARA, NATHDWARA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KALLAKHERI VIRAN, GUNJOL NATHDWARA, NATHDWARA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KRISHAN KUMAR MEENA		पिता:SARDARARAM	1. HEAD CONSTABLE 447,KHAMNOUR,KHAMNOUR,RAJSAMAND,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	20000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 20,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any **(मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 01-08-2025 को समय करीब 1.30 पी.एम. पर परिवादी श्री यशपालसिंह पुत्र श्री भूरसिंह जी चौहान उम्र 34 वर्ष निवासी गांव कल्लाखेड़ी विरान पोस्ट गुंजोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द ने उपस्थित होकर स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट पेष इस आशय की पेश की कि "मैं प्रार्थी गांव कल्लाखेड़ी विरान का रहने वाला हू तथा मेरे ट्रान्सपोर्ट का कामकाज है तथा दिनांक 27 जनवरी 2025 को मैं नाथद्वारा बसस्टेण्ड स्थित भैरूनाथ पार्किंग में मेरी कार बलेनो नम्बर आर.जे.-30 सी.बी.-7174 लेकर खड़ा था उस दरम्यान मेरा मित्र श्री गिरीराज निवासी उलपुरा मंगरा मेरे पास आया और मुझे कहा कि पुलिसकर्मी के साथ जाकर किसी मुल्जिम को लेकर आना है जिसके लिये कार किराये पर चाहिये जिस पर मैंने कहां से कहां के लिये किराये पर कार चाहने हेतु पुछा जिस पर उसके द्वारा नाथद्वारा से कुछ दूरी स्थित गांव टाटोल चलने के लिये कहा। उसके बाद मैं मेरी कार को लेकर बस स्टेण्ड नाथद्वारा से गिरीराज को लेकर रवाना हुआ और नाथद्वारा में स्थित उपली ओडन चौराहे पर रूके जहां पर एक मनोहर नाम का वर्दीधारी पुलिसकर्मी मिला उसके बाद वह कार में बैठा और उसके साथ एक व्यक्ति जिसका नाम मदनसिंह था उसको भी साथ लिया और वहां से रवाना हुए और मुझे गांव टाटोल लेकर गये तथा वहां पर उन्होने दो लड़कों को पुलिसकर्मी श्री मनोहर जी ने अपने साथ लेकर मेरी कार से श्रीनाथजी पुलिस थाना नाथद्वारा पार्किंग में लेकर आये और मुझे मेरी कार का किराया देकर वहां से रवाना कर दिया था। उसके कुछ दिनों बाद मेरे मोबाईल पर खमनोर पुलिस थाने से फोन आया और कहा कि श्री गिरीराजसिंह, मदनसिंह वगैराह के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज है जिसमें आपकी गाड़ी का प्रयोग किया गया है जिसके लिये आपकी गाड़ी को लेकर पुलिस थाना खमनोर आना है। उसके बाद मैं और मेरा मित्र श्री माजिद निवासी नाथद्वारा दोनों ही मेरी कार को लेकर पुलिस थाना खमनोर गये थे और थानाधिकारी श्री शैतान सिंह नाथावत के रीडर श्री कृष्णकान्त हैड कान्सटेबल से मिले तो उन्होने मेरी कार को थाने पर खड़ी करवा दी और मुझे डरा धमकाकर कहा कि लूट के मामले में तुम भी मुल्जिम हो और गिरफ्तार करके जेल भेज दूंगा इस पर मैंने कहा कि मैंने तो मेरी कार को श्री मनोहर जी पुलिस वाले, श्री गिरीराजसिंह व मदनसिंह को किराये पर अनुसार कार लेकर नाथद्वारा से टाटोल गया था ओर वहां से लेकर श्रीनाथजी थाना नाथद्वारा लेकर आया जिसके पेटे किराया राशि दो हजार रूपये प्राप्त कर लिये थे तथा मुझे लूट के किसी प्रकार के मामले की जानकारी नही है तथा मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। इस पर श्री कृष्णकान्त जी ने मेरे को गिरफ्तार नही करने और गाड़ी जल्दी छोड़ने की कार्यवाही करने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई और कहा कि थानाधिकारी साहब को रूपये देने पड़ेंगे नही तो जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद उन्होने मेरे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये और उसके बाद मैं व माजिद दोनो ही मेरी कार को खमनोर छोड़कर आ गये। उसके एक-दो दिन बाद श्री कृष्णकान्त जी नाथद्वारा आये और मुझे बुलाया जिस पर मैं व मेरा दोस्त माजिद उनके पास बस स्टेण्ड गये और वहां पर उन्होने मुझे काफी डराया धमकाया तथा रिश्वत राशि देने के लिये कहा जिस पर मेरे कहे अनुसार मेरे दोस्त श्री माजिद ने श्री कृष्णकान्त जी को दस हजार रूपये दिये तत्पश्चात् उन्होने मुझे एक-दो दिन में खमनोर आकर मिलने हेतु कहकर चले गये। उसके बाद मैं मेरे काम धंधे से गाड़ी पर बाहर चला गया और मेरे दोस्त माजिद का बार-बार फोन कॉल मेरे पास आया और उसने कहा कि श्री कृष्णकान्त बार-बार मुझे फोन कर तुझे थाने पर रूपये लेकर बुला रहा है तुम उससे बात करो जिस पर मैंने मेरे दोस्त माजिद को नाथद्वारा आकर उसके पास चलकर बात करने हेतु कहा था। दिनांक 29.07.2025 को मैं नाथद्वारा था और उस दिन मैं और मेरा दोस्त माजिद व धनराज, तीनो ही खमनोर पुलिस थाने पर गये और पर जाकर श्री श्री कृष्णकान्त हैड कान्सटेबल से मैं मिला तो वह मुझे उसके साथ लेकर थानाधिकारी श्री शैतानसिंह के पास लेकर गये और थानाधिकारी श्री शैतानसिंह ने भी मुझे काफी धमकाया और कहा तुम भी मुल्जिम हो उसके बाद मुझे उनके कमरे से बाहर बैठने के लिये कहा और कुछ देर बाद श्री कृष्णकान्त हैड कानि. भी थानाधिकारी के कमरे से बाहर आये और मुझे उनके साथ लेकर श्री कृष्णकान्त हैड कानि. के कमरे में लेकर गये और मुझे गिरफ्तार करने के लिये कहा। उसके बाद मुझे डरा धमकाकर रूपये की मांग की तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास रोकड़ नही है और खाते में है जिस पर श्री कृष्णकान्त जी ने मेरे को एक मोबाईल नम्बर बताये और उस पर फोन पे के माध्यम से मेरे मोबाईल से 25000 रूपये ऑनलाईन करवाये, उक्त रूपये जिस नम्बर पर करवाये उसका नाम संजय पंवार आ रहा था। श्री कृष्णकान्त हैड साहब ने मुझे कहा कि यह ई-मित्र वाला है जिससे मैं नकद प्राप्त कर लूंगा। मैंने 25000 रूपये ऑनलाईन ट्रान्सफर करने के बाद मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे दोस्त माजिद को भेजा जिस पर मेरे दोस्त माजिद ने उक्त स्क्रीनशॉट श्री कृष्णकान्त हैड साहब के

वाट्सअप नम्बर पर भेजा था। उसके बाद श्री कृष्णकान्त हैड साहब ने मेरे को कहा कि 25000 रूपये और लेकर आ जाना साहब नही मान रहे है। मैं रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ और रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने की कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। रिपोर्ट पेश है। "मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री यशपालसिंह द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो उसने बताया कि मैं मेरी कार को किराये के हिसाब मे पुलिसकर्मी श्री मनोहर व श्री गिरीराजसिंह व मदनसिंह को लेकर गया था तथा मुझे उनके द्वारा गांव टाटोल लेकर गये और उसके साथ दो लड़को को श्रीनाथ जी पुलिस थाना नाथद्वारा के पास लाये और मुझे किराया देकर वहां से रवाना कर दिया, मुझे उनके द्वारा क्या किया तथा किसकी लूट की किसी प्रकार की जानकारी नही थी तथा मैं पूर्णतया निर्दोष होने के बाद भी मुझे उक्त मामले में रिश्वत राशि लेने की नियत मे डरा धमकाकर फंसाने की धमकी देकर दस हजार रूपये नकद व 25000 रूपये ऑनलाईन श्री कृष्णकान्त हैड कानि. ने प्राप्त किये तथा 25000 रूपये अब और रिश्वत राशि थानाधिकारी श्री शैतानसिंह व स्वयं श्री कृष्णकान्त हैड कानि. के लिये मांग की जा रही है। परिवादी श्री यषपाल सिंह ने बताया कि श्री कृष्णकान्त हैड कानि. बहुत ही चालक है तथा इस मामले में भी सुनने में आया है कि दो-तीन अन्य लोगों को भी मुल्जिम नहीं बनाने के नाम पर 2-3 लाख रूपये रिश्वत राशि ले चुका है तथा मेरे से भी शीघ्र ही रिश्वत राशि लेकर आने की कहेगा। तत्पश्चात् समय करीब 02.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को तलब कर कार्यालय में से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन एवं रख रखाव की विधि की समझाईश कर परिवादी श्री यशपालसिंह व श्री दलपतसिंह का आपस में परिचय करवाया गया तथा श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करने व संदिग्ध श्री कृष्णकान्त हैड कानि. की आग शोहरत की जानकारी हासिल कर बाद मांग सत्यापन कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् समय करीब समय करीब 4.30 पी.एम. उक्त कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यक होने से श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर को पत्र जारी कर दिनांक 04.08.2025 को प्रातः 8.30 बजे उपस्थित होने हेतु श्री अजय कुमार कानि. 456 को रूकसत किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 5.00 पी. एम. श्री अजय कुमार कानि. 456 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया जिसने बताया कि कार्यालय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर से दो स्वतन्त्र गवाहान पाबन्द करने की कार्यवाही की जा रही है तथा पृथक से गवाह पाबन्द करने का पत्र ब्यूरो कार्यालय में भिजवाने हेतु अगवत कराया है। तत्पश्चात् समय करीब 5.15 पी.एम. पर श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि परिवादी श्री यशपाल सिंह के द्वारा उसके मित्र श्री धनराज को बुलाने पर मोटरसाईकिल मे ओडण चौराये पुलिया के नीचे उपस्थित आया तत्पश्चात् श्री यशपाल सिंह व श्री धनराज दोनो ही मोटरसाईकिल मे ओडण चौराये से खमनोर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ रवाना हुए तथा मै उनके पीछे पीछे निजी वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना खमनोर से पहले चौराये पर रूके जहां पर परिवादी श्री यशपाल सिंह को मैने समय करीब 4.13 पी.एम. पर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द कर वास्ते मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया। परिवादी श्री यशपाल सिंह व उसका मित्र श्री धनराज दोनो ही पुलिस थाना खमनोर से पहले मुख्य सड़क पर स्थित एक चाय की होटल पर जाकर बैठ गये तथा मै उनके आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री यशपाल सिंह व श्री धनराज दोनो ही मेरे पास आये तथा मुझे डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू अवस्था में सुपुर्द किया जिसे समय करीब 5.08 पी.एम. पर मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी श्री यशपाल सिंह ने बताया कि उनके द्वारा मेरी कार बलेनो की जमानत करवाने के नाम पर रिश्वत राशि की मांग की गई तथा मै उनको मेरे पास पडे 3,000 रूपये अभी देने और 22,000 रूपये बाद में देने के लिए कहा तो उन्होने 3,000 रूपये नहीं लिये और पूरे एक साथ देने हेतु कहा इत्यादि वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा भी परिवादी श्री यशपाल सिंह से बातचीत की गई तो परिवादी द्वारा भी उक्त तथ्यो की ताईद करते हुए बताया कि सोमवार तक रिश्वत राशि 25,000 रूपये लेके बुलाया है उसके बाद ही गाडी की जमानत हो पायेगी। इसके पश्चात् परिवादी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर दिनांक 04.08.2025 को प्रातः 10.00 बजे तक ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होवे। श्री दलपत सिंह को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई तथा परिवादी श्री यशपाल सिंह व श्री धनराज को नाथद्वारा से ही आवश्यक हिदायत देकर रूकसत करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 7.00 पी.एम. पर श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर पूर्व मे बताये गये हालात की ताईद की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा चालू कर परिवादी व संदिग्ध श्री कृष्णकान्त मीणा हैड कानि. के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग

सत्यापन वार्ता को सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। तत्पश्चात् दिनांक 04.08.2025 को समय करीब 9.30 ए.एम. कार्यालय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर से पूर्व पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम मोहन भील कनिष्ठ सहायक व श्री रवि सिकलीगर कनिष्ठ सहायक होना बताया। उक्त दोनों गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री यशपाल सिंह उपस्थित ब्यूरो कार्यालय उदयपुर आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री कृष्णकान्त हैड कानि. ने फाईल कोर्ट नाथद्वारा में दिनांक 04.08.2025 को भेजने हेतु कहा है तथा कोर्ट नाथद्वारा में ही मिलने हेतु बुलाया है। श्री कृष्णकान्त मीणा हैड कानि. द्वारा मांग की गई रिश्वत राशि 25,000 रूपये की व्यवस्था के लिए काफी प्रयास किये गये परन्तु उसको दी जाने वाली रिश्वत राशि 20,000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है जो लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित आया हुं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय में मौजुद दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मोहन भील व श्री रवि सिकलीगर का परिवादी श्री यशपाल सिंह से आपस में परिचय करवाया गया। दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय कक्ष की आलमारी से निकलवाकर चालू कर दोनो गवाहान को सुनाई गई तो उनके द्वारा भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना बताया जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह रहने की सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाहान के रूप में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी के द्वारा पूर्व के बताये गये तथ्यो की ताईद करते हुए बताया कि मैने मेरी कार बलेनो की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2025 को ही मेरे वकील साहब को बोलकर नाथद्वारा कोर्ट में पेश करने हेतु कह दिया है तथा दिनांक 04.08.2025 को खमनोर थाने से श्री कृष्णकान्त हैड साहब फाईल लेकर नाथद्वारा कोर्ट आयेंगे तथा वही पर मेरे मे रिश्वत राशि ले सकते है। तत्पष्चात् समय करीब 11.20 ए.एम. पर उपस्थित गवाहान श्री मोहनलाल व श्री रवि सिकलीगर एवं परिवादी श्री यशपाल सिंह का आपस में परिचय करवाया जाकर उपस्थितिन के समक्ष फर्द पेशकपी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफथलीन् पाउडर व सोडीयम कार्बोनेट की कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् समय करीब 12.35 पी.एम. परिवादी को रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ब्यूरो चौकी इन्टे उदयपुर से रवानाशुदा नाथद्वारा पहुचे जहां से परिवादी श्री यशपाल सिंह ने उसके मित्र श्री धनराज को बुलाया जिसका परिचय मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को दिया गया तथा श्री धनराज को परिवादी श्री यशपाल सिंह द्वारा आरोपी श्री कृष्णकान्त हैड कानि. के विरूद्व करवाई जा रही ट्रैप कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री यशपाल सिंह व आरोपी श्री कृष्णकान्त हैड कानि. के मध्य हुई दूरभाष वार्ता में परिवादी श्री यशपाल सिंह को उसकी कार बलेनो आरजे 30 सीबी-7174 की जमानत के लिए फाईल किसी अन्य के साथ कोर्ट में भेजना बताया तथा उसकी कार की मूल आरसी आरोपी के पास ही होने हेतु कहा जिस पर परिवादी ने गाडी की जमानत के लिए मूल आरसी चाहने हेतु कहा तो आरोपी श्री कृष्णकान्त मीणा हैड कानि. ने खमनोर आकर मूल आरसी ले जाने हेतु कहा। इसी दौरान श्री यशपाल सिंह परिवादी ने बताया कि श्री कृष्णकान्त हैड साहब बहुत ही शातिर और भ्रष्ट है तथा दिनांक 01.08.2025 को भी उसने रिश्वत राशि उसके मिलने वाले वकील साहब के मार्फत लेने हेतु कहा था परन्तु मैने उसके कहे अनुसार वकील को नहीं कर मेरे परिचित अन्य वकील साहब को जमानत के लिए बोला था। जिसके कारण श्री कृष्णकान्त हैड साहब द्वारा मेरी कार जमानत के लिए फाईल तो कोर्ट में भिजवाने की कह रहा है परन्तु मूल आरसी उसके द्वारा रिश्वत राशि लेने की नियत से रख ली है जो रिश्वत राशि लेने के बाद ही मुझे लौटायेगा। तत्पश्चात् समय करीब 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री यशपाल सिंह व उसके मित्र श्री धनराज को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से तथा उसके पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक डां. सोनू शेखावत मय ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बाक्स इत्यादि सहित प्राईवेट वाहन मय चालक के तथा श्री मूनीर मोहम्मद सउनि व श्री अजय कुमार कानि. मय प्राईवेट वाहन मय चालक के अलग-अलग वाहनों से ओडण चौराया नाथद्वारा से पुलिस थाना खमनोर के लिये रवाना होकर समय करीब 1.35 पी.एम. पर पुलिस थाना खमनोर से पहले रूके जहां पर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू व बन्द करने की समझाईश दी गई तथा आरोपी को रिश्वत राशि देने के पष्चात निर्धारित ईशारा करने या मोबाईल पर कॉल करने की हिदायत कर परिवादी से उसके पास से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑन कराया जाकर पुलिस थाना खमनोर के लिए रवाना किया गया तथा उसके साथ उसके मित्र श्री धनराज को भी रवाना कर परिवादी के पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के जरिये अलग अलग प्राईवेट वाहन मे रवाना होकर पुलिस थाना खमनोर से पहले प्राईवेट वाहन को एक तरफ साईड में खडा कर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मूकिम रहे। तत्पश्चात् परिवादी श्री यशपाल सिंह व श्री धनराज दोनो ही अपनी निजी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना खमनोर से बाहर निकलकर मुख्य सडक पर खडे होकर समय करीब 01.44 पी.एम. पर परिवादी श्री यशपाल सिंह ने अपने दोनो हाथ सिर पर फैर कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मोहन भील व श्री रवि

मिकलीगर, ब्यूरो जाप्ता श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री लक्ष्मण सिंह तथा श्री मूनीर मोहम्मद व श्री अजय कुमार मय अलग अलग प्राईवेट वाहन मय चालक के परिवादी श्री यशपाल सिंह व श्री धनराज को उसकी मोटरसाईकिल सहित साथ लेकर मुख्य सडक से पहाडी पर स्थित पुलिस थाना खमनोर पर उपस्थित आये तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो टीम के साथ परिवादी को अपने साथ लेकर परिवादी श्री यशपाल सिंह की निशादेही से पुलिस थाना खमनोर के बैरिक नम्बर 5 कक्ष में आये। इसके पश्चात् परिवादी श्री यशपाल सिंह ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने दोनों गवाहान के समक्ष उक्त कक्ष में चारपाई पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री कृष्णकान्त हैड कानि. पुलिस थाना खमनोर है, जिन्होने अभी अभी मेरे से मेरी कार बलेनो नम्बर आरजे-30 सीबी-7174 की जमानत करवाने तथा मुझे उक्त प्रकरण संख्या 17/2025 में मुल्जिम नहीं बनाने तथा मेरी कार की मूल आरसी देने की एवज् में अभी अभी 20,000 रूपये रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण की है तथा पूर्व में मुझे डरा धमका कर 10,000 रूपये रोकड मेरे समक्ष मेरे दोस्त श्री माजिद से नाथद्वारा बस स्टेण्ड पर लिये और दिनांक 29.07.2025 को 25,000 रूपये रिश्वत राशि के रूप में ऑनलाईन मेरे मोबाईल नम्बर मे श्री संजय पवांर नाम के व्यक्ति के मोबाईल नम्बर पर ट्रांसफर करवाये थे, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अगवत करा उसमे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. 447, पुलिस थाना खमनोर जिला राजसमन्द होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता के समक्ष आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. को परिवादी से रिश्वत राशि 20,000 रूपये अभी अभी प्राप्त करने व 10,000 रूपये पूर्व में ग्रहण करने तथा 25,000 रूपये दिनांक 29.07.2025 को ऑनलाईन श्री संजय पवार नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर करवाकर प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. ने बताया कि "प्रकरण संख्या 17/2025 की फाईल श्री शैतान सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना खमनोर के जिम्मे अनुसंधान है तथा मै उनका रीडर होने के नाते उक्त फाईल में लिखा पढ़ी कर रहा हूँ तथा अभी अभी श्री यशपाल सिंह ने 20,000 रूपये मुझे दिये थे जो मैने लेकर मेरी पहनी हुई पेन्ट की सामने दाहिनी जेब में रखे है जो दाहिनी जेब ही पडे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुनः पूर्व में ग्रहण की गई राशि के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. हाथ जोडकर कहने लगा कि गलती हो गई मुझको माफ कर दो तथा मौनधारण कर गर्दन नीचे झुका ली। कुछ समय पश्चात् श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. ने बताया कि इस केस में श्री यषपाल सिंह को प्रकरण संख्या 17/2025 में मुल्जिम नहीं बनाने तथा उसकी बलेनो कार की जमानत करवाने के लिए श्री यशपाल सिंह के मित्र श्री माजिद से मैने 10,000 रूपये पूर्व में ग्रहण किये तथा दिनांक 29.07.2025 को ऑनलाईन श्री संजय पंवार के फोन पे नम्बर पर 25,000 रूपये डलवाये तथा अभी अभी 20,000 रूपये लिये है जो मैने उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री शैतान सिंह नाथावत थानाधिकारी के कहे अनुसार मांग कर लिये थे तथा पूर्व में प्राप्त किये गये 10,000 रूपये भी मै श्री शैतान सिंह नाथावत थानाधिकारी को दे चुका हूँ तथा दिनांक 29.07.2025 को मैं थाने पर ड्युटी पर उपस्थित था उस दिन श्री शैतानसिंह थानाधिकारी ने मुझे बुलाया दिन में समय करीब 12 बजे लगभग बुलाया तथा कहा मुझे 25000 रूपयों की जरूरत है जिस पर मैंने मेरे मोबाईल नम्बर से शैतानसिंह जी थानाधिकारी के कहे अनुसार उनकी पत्नी के फोन पे मोबाईल नम्बर पर किये। दिनांक 29.07.2025 को परिवादी श्री यशपालसिंह द्वारा मेरे कहे अनुसार श्री संजय पंवार निवासी खमनोर के फोन पे पर 25000 रूपये किये थे तत्पश्चात् मैंने श्री संजय पंवार को फोन कर थाने के पास चाय की थडी पर शाम के समय बुलाया और श्री यशपालसिंह से फोन पे पर करवाये 25,000 रूपये नकद प्राप्त कर लिये तत्पश्चात् मैं थाने पर आया और श्री शैतानसिंह थानाधिकारी को ही दे दिये। इस पर आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. को रिश्वत राशि के सम्बन्ध में श्री शैतान सिंह नाथावत थानाधिकारी से दूरभाष पर वार्ता करने हेतु कहा तो श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. द्वारा वार्ता करने से मना कर दिया। इस पर परिवादी श्री यशपाल सिंह ने बताया कि मैं कृष्णकुमार को पहले कृष्णकान्तजी मीणा के नाम से जानता था अभी अभी मुझे आपके द्वारा इनका नाम पूछने पर पता चला की इनका नाम कृष्णकान्त जी नहीं होकर कृष्ण कुमार जी है, इन्होने मेरे को उक्त प्रकरण 17/2025 में झूठा फंसा कर गिरफ्तार करने की बार बार धमकी देकर मेरे को गिरफ्तार नहीं करने की एवज् में पूर्व में 10,000 रूपये नकद मेरे सामने मेरे मित्र श्री माजिद से लिये तथा 25,000 रूपये दिनांक 29.07.2025 को ऑनलाईन उनके कहे अनुसार श्री संजय पंवार के फोन पे नम्बर पर ट्रांसफर किये थे तथा अभी अभी 20,000 रूपये मेरी कार बलेनो की जमानत करवाने व मूल आरसी लौटाने की एवज् में ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे है तथा बताया कि श्री कृष्ण कुमार मीणा मीणा हैड साहब द्वारा मुझे दिनांक 29.07.2025 को जब मै थाने पर आया था तब इन्होने मुझे साथ लेकर थानाधिकारी श्री शैतानसिंह नाथावत से मिलाया उस दौरान श्री थानाधिकारी श्री शैतानसिंह नाथावत द्वारा मुझे प्रकरण में मुल्जिम होने के सम्बन्ध में डराया था परन्तु श्री शैतानसिंह थानाधिकारी द्वारा मेरे से रिश्वत राशि की कभी मांग नहीं की गई थी तथा ना ही उनके द्वारा ग्रहण की गई, बल्कि श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड साहब द्वारा ही थानाधिकारी के नाम पर रिश्वत राशि की मांग की गई व ग्रहण की गई। इसके पश्चात् श्री संजय पंवार निवासी खमनोर को पुलिस थाना खमनोर पर उपस्थित होने निर्देशित किया गया। चूंकी आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 20,000 रूपये ग्रहण कर अपनी पहनी

हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे हैं इस हेतु आरोपी के दोनों हाथों का धोवण एवं पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी से प्राईवेट वाहन में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रैप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिल-चिट करवा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धोवन का रंग मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिल-चिट करवा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 20,000 रूपये ग्रहण कर अपने पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में रखा होना बताया था, उक्त रिश्वत राशि बरामद किया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री मोहन भील से आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब मे से भारतीय चलन मुद्रा के 200-200 के 5 नोट व 500-500 रूपये के 38 नोट कुल राशि 20,000 रूपये होना बताया उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाहान द्वारा पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी दृष्टान्त मे करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि 20,000 रूपये को एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा मार्क N अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। इसके पश्चात् आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि 20,000 रूपये स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए थे, इस हेतु उक्त पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की पहनी हुई उक्त काली रंग की पेन्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर आरोपी को उपलब्धानुसार लॉवर पहनाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री मूनीर मोहम्मद सउनि से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त काली रंग की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब के धोवन के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को श्री मूनीर मोहम्मद सउनि से सिल-चिट करवा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशूदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात् उक्त काली रंग की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् उक्त काली रंग की पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् श्री शैतान सिंह नाथावत थानाधिकारी पुलिस थाना खमनोर को तलब किया गया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा उनसे दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री यशपाल सिंह से पूर्व में रिश्वत राशि 10,000 रूपये नकद, दिनांक 29.07.2025 को 25,000 रूपये श्री संजय पंवार के मार्फत ऑनलाईन प्राप्त करने तथा अभी अभी 20,000 रूपये आपके कहे अनुसार ग्रहण करना अपने स्पष्टीकरण में बताया गया जिसके सम्बन्ध में श्री शैतान सिंह नाथावत थानाधिकारी को पूछा गया तो उन्होने बताया कि श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. झूठ बोल रहा है, मैने इसको कभी रिश्वत राशि लेने हेतु नहीं कहा है तथा ना ही मैने रिश्वत राशि के रूप में इससे रूपये प्राप्त किये है। श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. से दिनांक 29.07.2025 को मेरी पत्नी के ऑनलाईन फोन पे मोबाईल नम्बर के माध्यम से 25,000 रूपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मै उक्त दिनांक 29.07.2025 को थाने पर था उस दिन मेरी पत्नी से बातचीत हुई जिसके द्वारा मेरी पुत्री जो पढाई कर रही है उसके मैस व अन्य खर्च हेतु 25,000 रूपये ऑनलाईन भेजने हेतु कहा, चूँकि उस दिन मेरे खाते में बैलेन्स लगभग 8,000 रूपये ही था और मेरे खाते में इतना बेलेन्स नहीं होने से मैने थाने पर उपस्थित स्टाफ श्री सुरेश व श्री शक्ति कानि. को बोला तो उनके पास भी 25,000 रूपये का बैलेन्स होने से इन्कार किया। उसी दिन मैने श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. को बुलाया और 25,000 रूपये उधार पेटे ऑनलाईन फोन पे से मेरी पत्नी को ट्रांसफर हेतु कहा तो श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. ने 25,000 रूपये जरिये फोन पे ट्रांसफर समय 12.06 पी.एम. पर कर दिये थे । मेरे द्वारा उधार लिये 25,000 रूपये भी पुनः नकद श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. को दे दिये थे। मेरी उक्त रिश्वत राशि

में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि उपलब्ध तथ्यों के अनुसार श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री यशपाल सिंह से दिनांक 29.07.2025 को श्री संजय पंवार के फोन पे मार्फत समय करीब 8.03 पी.एम. पर 25,000 रूपये ट्रान्सफर करवाये गये थे, बल्कि मेरे द्वारा तो उसी दिन 25,000 रूपये दिन में 12.06 पी.एम. पर ही उधार के रूप में ग्रहण कर लिये थे। इसके पश्चात् पुलिस थाना पर पदस्थापित श्री सुरेश कानि. को तलब किया गया जिस पर वह उपस्थित आया। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष उसका नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम श्री सुरेशचन्द्र कानि. पुलिस थाना खमनोर होना बताया जिसको थानाधिकारी श्री शैतानसिंह द्वारा उधार स्वरूप राशि मांगने के बारे में पुछने पर उसने बताया कि मैं दिनांक 28.07.25 को थाने पर ड्युटी पर उपस्थित था उस दिन मुझे श्री शैतानसिंह जी ने बुलाया तथा उनके पत्नी के खाते में जरूरत हेतु 25000 रूपये ऑनलाईन डालने हेतु कहा जिस पर मैंने उनको मेरे पास इतना बेलेन्स नहीं होने से मना कर दिया था उसके बाद उनके द्वारा थाने पर अन्य स्टाफ को भी उधार हेतु पैसे ऑनलाईन डालने हेतु कहा गया था तथा श्री शैतान सिंह थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस थाना खमनोर पर वर्तमान में कृष्णकान्त हैड कानि. नाम का कोई पुलिस कर्मी पदस्थापित नहीं है तथा कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. 447 ही पदस्थापित है। इसके पश्चात् दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रकरण संख्या 17/2025 की पत्रावली के सम्बन्ध में पूछा गया तो श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. ने बताया कि श्री यशपाल सिंह द्वारा अपनी बलेनो कार की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र नाथद्वारा कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट द्वारा पत्रावली तलब की गई जिस पर दिनांक 04.08.2025 को श्री राधेश्याएम एलसी नम्बर 52 के साथ भिजवाई गई तथा बताया कि उक्त प्रकरण के अनुसंधान अनुसार आरोपी श्री लाठा उर्फ फिरोज, श्री मदनसिंह, श्री राजु उर्फ राजेन्द्र सिंह, श्री पवन उर्फ भैरूलाल एवं हरीश ओड के विरूद्व अपराध प्रमाणित माना है तथा उक्त प्रकरण में श्री यशपाल सिंह की भूमिका किसी प्रकार नहीं पाई गई है। दिनांक 01.08.2025 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वती राशि के मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं दिनांक 04.08.2025 को परिवादी आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वती राशि लेन देन वार्ता के वक्त परिवादी तथा आरोपी के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिश्वती राशि बरामदगी व हाथ धुलाई की वीडियोग्राफी मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री अजय कुमार कानि. द्वारा सरकारी मोबाईल मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड की गई। उक्त फर्द बरामदगी मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा टकंन की गई। तत्पश्चात समय करीब 3.50 पी.एम. पर श्री संजय पंवार उपस्थित आये जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व दोनो गवाहान तथा परिवादी का परिचय देते उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम संजय पंवार खमनोर पुलिस थाना खमनोर जिला राजसमन्द होना बताया। जिनको दिनांक 29.07.2025 को श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. के कहे अनुसार परिवादी श्री यशपाल सिंह के मोबाईल नम्बर से समय करीब 8.03 पी.एम. पर श्री संजय पंवार के मोबाईल नम्बर पर ऑनलाईन फोन पे 25,000 रूपये प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो श्री संजय पंवार ने बताया कि मेरे खमनोर कस्बे में ही होटल का व्यवसाय है जिसके कारण श्री कृष्ण कुमार हैड साहब से जान पहचान है तथा दिनांक 29.07.2025 को मेरे खाते में 25,000 रूपये प्राप्त हुए जिसकी तत्समय मुझको जानकारी नहीं थी परन्तु उक्त रूपये ऑनलाईन प्राप्त होने पर कुछ समय बाद ही मेरे मोबाईल नम्बर पर श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड साहब का फोन आया और मुझको कहा कि मैने मेरे गांव से आपके खाते में 25,000 रूपये ऑनलाईन ट्रांसफर करवाये है जो आप मेरे को नकद लाकर दे देना उसके बाद मै मेरे काम से फ्री होने के बाद मैने श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड साहब को 25,000 रूपये थाने के बाहर मुख्य सड़क पर स्थित चाय की दूकान पर नकद दिये थे मुझको उक्त रूपये रिश्वती राशि स्वरूप प्राप्त करने की कोई जानकारी नहीं थी तथा ना ही मेरी किसी प्रकार कोई आपसी मिली भगत की भूमिका है। इस पर उक्त तथ्यों का पूछताछ नोट पृथक से तैयार करवाकर श्री संजय पंवार, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर श्री संजय पंवार को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। तत्पश्चात समय करीब 4.10 पी.एम. पर उपस्थितिन गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्ता परिवादी श्री यशपाल सिंह एवं आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. के मध्य दिनांक 01.08.2025 को हुई वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप मे कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री अजय कुमार द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्ड मे रिकॉर्डशुदा वार्ता को परिवादी श्री यशपाल सिंह व आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. को उपस्थित गवाहान के समक्ष सुनाया तो आरोपी व परिवादी ने उक्त वार्ताओं में अपनी-अपनी आवाज होने की ताईद की। तत्पश्चात समय करीब 8.50 पी.एम. पर दिनांक 04.08.2025 को परिवादी श्री यशपालसिंह व आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. मध्य हुई वार्तायें जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय में रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देषन में श्री लक्ष्मणसिंह द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्ड मे रिकॉर्डशुदा वार्ता को परिवादी श्री यशपाल सिंह व आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. को उपस्थित गवाहान के समक्ष सुनाया तो आरोपी व परिवादी ने उक्त वार्ताओं में अपनी-अपनी आवाज होने की ताईद की। तत्पश्चात समय करीब 10.00 पी.एम. पर आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा पुत्र श्री सरदाराराम उम्र 45 वर्ष निवासी गांव मोठुका तहसील नीम का थाना पुलिस थाना पाटन जिला सीकर हाल हैड कानि. 447, पुलिस थाना खमनोर जिला राजसमन्द को 35 बी.एन.एस.एस. की पालना करते हुये उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर गया किया। इस प्रकार आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. 447 पुलिस थाना खमनोर जिला राजसमन्द द्वारा परिवादी यशपाल सिंह को दर्ज एफआईआर संख्या 17/2025 में लुट का आरोपी नहीं बनाने एवं परिवादी की जब्तशुदा बलेनो कार की जमानत करवाकर छुडवाने की एवज् में थानाधिकारी श्री शैतान सिंह नाथावत के नाम पर आरोपी द्वारा पूर्व में परिवादी को डरा धमका के 35,000 रूपये वसूल करना तथा दिनांक 01.08.2025 को दौराने मांग सत्यापन 25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा दिनांक 04.08.2025 को दौराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी श्री कृष्ण कुमार हैड कानि. 447 द्वारा परिवादी से अपनी मांग अनुसार 20,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने पर आरोपी को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. 447, पुलिस थाना खमनोर जिला राजसमन्द के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय 1988 (यथा संशोधित-2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है तथा दौराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी द्वारा रिश्वत राशि थानाधिकारी श्री शैतान सिंह नाथावत के कहे अनुसार ग्रहण बताया इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार पाया गया कि प्रकरण संख्या 17/2025 पुलिस थाना खमनोर पर दर्ज होकर अनुसंधान श्री शैतान सिंह नाथावत थानाधिकारी द्वारा करना पाया गया तथा उक्त प्रकरण में थानाधिकारी के रीडर श्री कृष्ण कुमार हैड कानि. 447 द्वारा रिश्वत राशि थानाधिकारी के कहे अनुसार मांग कर प्राप्त करने के तथ्यों के अनुरूप श्री शैतानसिंह नाथावत थानाधिकारी पुलिस थाना खमनोर की भूमिका के संद्विग्धता की जॉच विस्तृत अनुसंधान से ही स्पष्ट हो पायेगी। अतः आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा हैड कानि. 447, पुलिस थाना खमनोर जिला राजसमन्द के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित-2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। भवदीय, (डां. सोनू शेखावत) प्रभारी (पु.नि.) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर। ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनु शेखावात, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे-उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा पुत्र श्री सरदाराराम उम्र 45 वर्ष निवासी गांव माठुका तहसील नीम का थाना पुलिस थाना पाटन जिला सीकर हाल हैड कानि0 447 पुलिस थाना खमनोर जिला राजसमन्द के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 102 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1140-43 दिनांक 06.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2. पुलिस अधीक्षक राजसमन्द 3-उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे-उदयपुर, पुलिस अधीक्षक -प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** HIMMAT CHARAN **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

District (जिला):

(4) Transferred to P.S.(थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan-IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]:40[illegible]

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1980				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)